संख्या-85/2017/1528/सैंतीस-2-2017-1(21)/2014

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-18 सितम्बर, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.40/रा.50/ला.10-के.+रा.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र सं0-538(7)/यू.पी.एल.डी.बी./टी.एण्डई./एन.एल.एम.-रि.मे.ई./2017-18, दिनांक-28.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0109-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.40/रा.50/ला.10-के.+रा.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0-1135.13 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-783.95 लाख (रूपये सात करोड़ तिरासी लाख पच्चानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

मानक मद	**धनराशि (लाख में)**
18-प्रकाशन	19.61
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6.00
42-अन्य व्यय	758.34
योग-	**783.95**

(रूपये सात करोड़ तिरासी लाख पच्चानबे हजार मात्र)

(1) प्रदेश में जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50-के.+रा.) लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2739/सैंतीस-2-2016-1(31)/2015, दिनांक-27.12.2016 एवं योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार अथवा फेजिंग में किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0109-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.40/रा.50/ला.10-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-638/दस-2017, दिनांक-11.09.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-85/2017/1528(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-।।/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in